



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
चन्दौसी

पत्र संख्या - 2612 वि०वि०खं०च० / निजी नलकूप स्वीकृति

दिनांक-15-4-2023

“कार्यालय ज्ञापन”

उत्तर प्रदेश शासनादेश सं० ०१/२०१८/६२-१-२०१८-०४ आर/२००९ दिनांक १०.०१.२०१८ तथा उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०, लखनऊ के पत्रांक सं०-१५/पी०एस०एम०डी०/पाकालि/१८ दिनांक ११.०१.२०१८ के अनुपालन में निम्नांकित विद्युत स्वीकृत भार निम्नलिखित उपभोक्ता के नाम में अघोलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र० सं०	उपभोक्ता का नाम व पिता/पति का नाम व पता	मोबाईल न०	स्वीकृत भार	प्रयोजन	रसीद सं० / दिनांक
1	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामवीर ग्राम-रोराद्वीप	9412032157	10 हा०पा०	जमा योजना निजी नलकूप	1008261426 15.04.2023 रूपये-100.00

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त कराना निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है :-

1. प्रस्तावित 400/220/132 केवी उपसंस्थानों पर स्थापित परिवर्तकों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई को विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
 2. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले से ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेगे।
 3. उक्त संयोजन की विद्युत आपूर्ति निगमीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-2 पर आवश्यकतानुसार रोस्ट्रिंग की जा सकती है।
 4. विद्युत आपूर्ति पा०का०लि० में लागू रेट शैडयूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
 5. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में निगम की कसी भी ट्रंक लाईन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
 6. यदि उक्त इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से ही कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक नहीं अवमुक्त किया जायेगा जब तक उसको उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध निगम धनराशि यदि कोई हो तो उसका पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
 7. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और निगम के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोई केस लम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
 8. निगम द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
 9. निजी नलकूप संयोजन के मामले में लाईन बनाने के जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। लाइन निर्माण में उत्पन्न बाद विवाद का निस्तारण उपभोक्ता को स्वयः कराना होगा।
 10. उपरोक्त स्वीकृति आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है। भविष्य में किसी भी प्रकार के वाद विवाद उक्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
 11. जमा योजना के मामले में उपभोक्ता के परिवर्तक से किसी अन्य उपभोक्ता को संयोजन दिया जा सकता है।
- नोट-बोरिंग प्रामाण/खसरा/खतोनी/सहखातेदारों के शपथ पत्र की मूल प्रति पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत होगा।**

अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या : 2612 वि०वि०खं०च० / निजी नलकूप स्वीकृति/ तददिनांक 15-4-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) उपखण्ड अधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत वितरण उपखण्ड- द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ चन्दौसी।
- (2) मानचित्रक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० विद्युत वितरण खण्ड चन्दौसी।
- (3) सम्बन्धित उपभोक्ता।

अधिशासी अभियन्ता